

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल-बिहटा के सोन नदी पर पटना सोन क्लस्टर-1B (घाट संख्या-6, 7 एवं 8) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

दिनांक 24.09.2020 को आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा श्री शशि भूषण सिंह, श्री राजन सिंह, मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा० लि०, को निर्गत टी०ओ०आर० पत्र संख्या-SIA/ 1(a)/ 1007/2020, दिनांक 21.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1131/2020, दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र संख्या-SIA/1(a)/1095/2020, दिनांक 22.07.2020 के आलोक में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा०), पटना (जिलाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक-सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक: 25.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।


परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्पान्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बताया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढक कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत


परियोजना लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यों में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :-


1. श्री अजीत कुमार, ठेकहा द्वारा सड़क पर नियमित जल छिड़काव, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, धूलकण के नियंत्रण करने की व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री राम आधार राय, अमनाबाद द्वारा धूलकण के नियंत्रण करने हेतु फलदार वृक्षों को लगाने का सुझाव दिया गया।
3. श्री मोहन राय, अमनाबाद द्वारा कामगारों एवं स्थानीय लोगों के लिए सेड की व्यवस्था करने के साथ वहा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने एवं छायादार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
4. श्री लवकुश कुमार, अमनाबाद द्वारा सड़कों की नियमित मरम्मत करना सुनिश्चित कराने की बात कही गयी।

लोक-सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड-19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सही उपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।


(मनोरंजन कुमार सिंह)
सहा० वैज्ञानिक पदा०
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(एस.पी.राय)
पर्यावरण अभियंता
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(विनायक मिश्र)
अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

श्री शशि भूषण सिंह, श्री राजन सिंह, मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा० लि० द्वारा पटना जिला, अंचल-बिहटा के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-1B) सोन घाट- 6, सोन घाट- 7 एवं सोन घाट- 8 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020 (गुरुवार) को 02:30 बजे अपराह्न में आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दफ्ताफिडारी, पटना	M 24.09.2020
2.	एस.जी. राय	पर्यावरण विभाग वि० टाउन, पटना	myces 24.9.20
3.	प्रताप कुमार सिंह	डिप्टी एग्ज. इंस्पेक्टर नियोजन पदादि.	M 24.9.20
4.	मुन्ना कुं उमा		M
5.	मे. शशिभूषण आनंदपुर		Shashibhusan
6.	संतोष कुमार		Santosh
7.	सुनील कुमार	उफटा	सुनील कुमार
8.	Sanjit Kumar.	अमनावाड़	Sanjit Kumar
9.	अमरजीत कुमार	अमनावाड़	अमरजीत कुमार
10.	राजय कुमार	उफटा	राजय कुमार
11.	धर्मवीर कुमार	अमनावाड़	धर्मवीर कुमार
12.	रंजीत कुमार	उफटा	रंजीत कुमार
13.	आनंद कुमार	उफटा	आनंद कुमार
14.	Sony Kumar	अमनावाड़	Sony Kumar
15.	Rakesh. Kumar	उफटा	Rakesh Kumar
16.	Bijender Kumar	उफटा	Bijender
17.	राजेश कुमार	अमनावाड़	राजेश कुमार
18.	अनुप कुमार	उफटा	अनुप कुमार

